# भाग–I

# अध्याय–I

## ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकलाप

### प्रस्तावना

**1.1** ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रम राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राज्य की अर्थव्यवस्था के विकास हेतु आवश्यक महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना प्रदान करने के अतिरिक्त, यह क्षेत्र राज्य के जीडीपी में भी उल्लेखनीय योगदान प्रदान करता है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) से ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज के टर्नओवर का अनुपात राज्य की अर्थव्यवस्था में इन पीएसयूज की गतिविधियों के विस्तार को दर्शाता है। 31 मार्च 2019[1] को समाप्त होने वाले चार वर्षों की अवधि के लिए ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के टर्नओवर एवं उत्तर प्रदेश के जीएसडीपी का विवरण **तालिका 1.1** में दर्शाया गया है।

**तालिका 1.1: ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के टर्नओवर के सापेक्ष उत्तर प्रदेश के जीएसडीपी का विवरण**

**(₹ करोड़ में)**

| विवरण | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 |
|---|---|---|---|---|
| टर्नओवर | 46,977 | 54,223 | 56,661 | 61,856 |
| पूर्ववर्ती वर्ष के टर्नओवर के सापेक्ष टर्नओवर में परिवर्तन प्रतिशत में | - | 15.42 | 4.50 | 9.17 |
| उत्तर प्रदेश का जीएसडीपी | 11,37,210 | 12,48,374 | 13,76,324 | 15,42,432 |
| पूर्ववर्ती वर्ष के जीएसडीपी के सापेक्ष जीएसडीपी में परिवर्तन प्रतिशत में | - | 9.78 | 10.25 | 12.07 |
| उत्तर प्रदेश की जीएसडीपी से टर्नओवर का प्रतिशत | 4.13 | 4.34 | 4.12 | 4.01 |

***स्रोतः सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 01 अगस्त 2019 को जारी किये गये जीएसडीपी के आँकड़ों एवं ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज के टर्नओवर के आँकड़ों के आधार पर संकलित।***

ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के टर्नओवर में वर्ष 2016–17 से 2018–19 के दौरान 4.50 प्रतिशत एवं 15.42 प्रतिशत के मध्य निरन्तर वृद्धि दर्ज की गयी। इसी अवधि में उत्तर प्रदेश के जीएसडीपी में भी निरन्तर वृद्धि 9.78 प्रतिशत एवं 12.07 प्रतिशत के मध्य दर्ज की गयी। चक्रवृद्धि वार्षिक विकास विभिन्न समय अवधि के दौरान विकास दर को मापने की उपयोगी पद्धति है। जीएसडीपी के 10.69 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक विकास[2] के सापेक्ष ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के टर्नओवर में पिछले तीन वर्षों के दौरान 9.61 प्रतिशत की कम चक्रवृद्धि वार्षिक विकास दर्ज की गई। इससे जीएसडीपी में इन ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के टर्नओवर की भागेदारी वर्ष 2015–16 में 4.13 प्रतिशत से घटकर 2018–19 में 4.01 प्रतिशत हो गई।

### *ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों का गठन*

**1.2** उत्तर प्रदेश सरकार (जीओयूपी) ने ऊर्जा क्षेत्र को व्यवसायिक रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए तत्कालीन उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड (यूपीएसईबी) का पुर्नगठन किया (जनवरी 2000) एवं कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत एक नई कम्पनी उत्तर प्रदेश पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) का गठन किया। यूपीएसईबी के पारेषण एवं वितरण

---

[1] 31 दिसंबर 2019 तक के नवीनतम अन्तिम लेखाओं पर आधारित।

[2] चक्रवृद्धि वार्षिक विकास दर = [{(2018–19 का मूल्य/2015–16 का मूल्य)^(1/3 वर्ष)}–1]*100।

के कार्यों[3] को यूपीपीसीएल को हस्तान्तरित किया गया। थर्मल एवं हाइड्रो उत्पादन के कार्य मौजूदा पीएसयूज अर्थात उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (यूपीआरवीयूएनएल) एवं उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड (यूपीजेवीएनएल) में ही निहित रहे। यूपीएसईबी की सभी सम्पत्तियों एवं दायित्वों (₹ 5,554.96 करोड़[4] की पूँजी एवं ₹ 2,709.78 करोड़ के ऋण सहित) को ऊर्जा क्षेत्र के चार पीएसयूज[5] के बीच में वितरित किया गया। आगे, अगस्त 2003 में यूपीपीसीएल का वितरण व्यवसाय, सहायक कम्पनियों यथा मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, लखनऊ (एमवीवीएनएल), पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मेरठ (पीवीवीएनएल), पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, वाराणसी (पूवीवीएनएल) एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, आगरा (डीवीवीएनएल) (यूपीपीसीएल की सहायक–डिस्कॉम्स के रूप में जाना जाता है) को हस्तान्तरित किया गया।

आगे, उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रान्समिशन कार्पोरेशन लिमिटेड (यूपीपीटीसीएल) जुलाई 2006 में निगमित हुआ। इसके बाद, अप्रैल 2007 से ट्रान्समिशन गतिविधियों को यूपीपीसीएल से यूपीपीटीसीएल को हस्तान्तरित करने के उद्देश्य से जीओयूपी ने दिसंबर 2010 में उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार (ट्रान्समिशन एवं सम्पत्तियों, दायित्वों सहित सम्बंधित गतिविधियों के हस्तान्तरण) योजना, 2010, अधिसूचित किया। इस तिथि से, यूपीपीसीएल एवं यूपीपीटीसीएल ने क्रमशः वृहत ऊर्जा के क्रय/विक्रय एवं ट्रान्समिशन कार्य के लिए अलग–अलग संस्था के रूप में कार्य करना शुरू कर दिया।

उपरोक्त के अतिरिक्त, ऊर्जा के उत्पादन के उद्देश्य के लिये चार पीएसयूज[6] गठित किये गये। इसी प्रकार, ट्रान्समिशन के व्यवसाय के संचालन के लिये यूपीपीसीएल की सहायक कम्पनी सदर्न यूपी पॉवर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड (एसयूपीपीटीसीएल), (08 अगस्त 2013 को निगमित), का गठन किया गया। इसके अतिरिक्त, कोयले के निष्कर्षण एवं राज्य ऊर्जा संस्थानों को कोयले की बिक्री के उद्देश्य के लिये एक और कम्पनी, यूसीएम कोल कम्पनी लिमिटेड, यूपीआरवीयूएनएल का संयुक्त उपक्रम (16 अक्टूबर 2008 को निगमित) गठित की गयी।

इस प्रकार, 31 मार्च 2019 तक राज्य में ऊर्जा क्षेत्र के 15 उपक्रम[7] थे। ऊर्जा क्षेत्र के इन 15 उपक्रमों में, तीन पीएसयूज[8] अकार्यरत थे एवं तीन पीएसयूज[9] ने 2018–19[10] तक कोई व्यवसायिक गतिविधियां शुरु नहीं की थीं।

---

[3] यूपीएसईबी के कानपुर विद्युत आपूर्ति प्राधिकरण (केसा) जोन के वितरण व्यवसाय को यूपीपीसीएल के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी के रूप में कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी लिमिटेड (केस्को) को हस्तान्तरित किया गया।

[4] यूपीएसईबी के विभाजन के समय संचित हानि शून्य थी।

[5] यूपीआरवीयूएनएल, यूपीजेवीएनएल, केस्को एवं यूपीपीसीएल।

[6] यूपीएसआईडीसी पॉवर कम्पनी लिमिटेड 11 अप्रैल 2000 को उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड की सहायक कम्पनी के रूप में निगमित हुई, सोनभद्र पॉवर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड (एसपीजीसीएल) 14 फरवरी 2007 को यूपीपीसीएल की सहायक कम्पनी के रूप में निगमित हुई, जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (जेवीयूएनएल) 04 सितंबर 2009 को यूपीआरवीयूएनएल की सहायक कम्पनी के रूप में निगमित हुई एवं यमुना पॉवर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड (वाईपीजीसीएल) 20 अप्रैल 2010 को यूपीपीसीएल की एसोसिएट कम्पनी के रूप में निगमित हुई।

[7] दो कम्पनियां क्रमशः सोनभद्र पॉवर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड और यमुना पॉवर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड ने अपने बी.ओ.डी. के दिनांक 01 अप्रैल 2019 के बैठक में लिये गये निर्णय द्वारा कम्पनी को बन्द कर दिया।

[8] सोनभद्र पॉवर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड (एसपीजीसीएल), यमुना पॉवर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड (वाईपीजीसीएल) एवं सदर्न यूपी पॉवर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड (एसयूपीपीटीसीएल)।

[9] जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, यूसीएम कोल कम्पनी लिमिटेड एवं यूपीएसआईडीसी पॉवर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड।

[10] 31 दिसंबर 2019 तक नवीनतम अन्तिम लेखाओं पर आधारित।

## ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश, पुर्नसंरचना एवं निजीकरण

**1.3** उत्तर प्रदेश में 2018–19 के दौरान ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों का कोई विनिवेश, पुर्नसंरचना एवं निजीकरण नहीं किया गया।

## ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश

**1.4** 31 मार्च 2019 को ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश का गतिविधिवार सारांश **तालिका 1.2** में दिया गया है।

**तालिका 1.2: ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों में गतिविधिवार निवेश**

| गतिविधि | ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या | निवेश (₹ करोड़ में) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | पूँजी | दीर्घकालीन ऋण | कुल |
| **इस अध्याय में शामिल किये गये पीएसयूज** | | | | |
| ऊर्जा का उत्पादन | 3 | 12,740.88 | 12,426.67 | 25,167.55 |
| ऊर्जा का पारेषण | 1 | 14,060.07 | 10,901.70 | 24,961.77 |
| ऊर्जा का वितरण | 6[11] | 91,110.97 | 56,109.78 | 1,47,220.75 |
| अन्य | 1 | 0.16 | 2.50 | 2.66 |
| **इस अध्याय में शामिल कुल पीएसयूज** | **11** | **1,17,912.08** | **79,440.65** | **1,97,352.73** |
| इस अध्याय में शामिल नहीं किये गये पीएसयूज[12] | **4** | **2.27** | **0.00** | **2.27** |
| **कुल योग** | **15** | **1,17,914.35** | **79,440.65** | **1,97,355.00** |

***स्रोतः ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज से प्राप्त सूचना एवं वार्षिक लेखाओं के आधार पर संकलित।***

इस अध्याय में शामिल ऊर्जा क्षेत्र के 11 उपक्रमों में 31 मार्च 2019 तक कुल निवेश (पूँजी एवं दीर्घावधि ऋण) ₹ 1,97,352.73 करोड़ था। निवेश में पूँजी 59.75 प्रतिशत एवं दीर्घावधि ऋण 40.25 प्रतिशत था।

राज्य सरकार द्वारा दिये गये दीर्घावधि ऋण कुल दीर्घावधि ऋणों का 7.01 प्रतिशत (₹ 5,571.82 करोड़) था जबकि अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा दिया गया ऋण 92.99 प्रतिशत (₹ 73,868.83 करोड़) था। इसके अतिरिक्त, बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के डिस्कॉम्स पर बकाया ऋणों (₹ 59,205.19 करोड़[13]) में से ₹ 44,403.89 करोड़[14] (75 प्रतिशत) का 2015–16 एवं 2016–17 के दौरान राज्य सरकार ने वित्तीय पुर्नगठन योजना/उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय[15]) के अन्तर्गत अधिग्रहण कर लिया।

[11] यूपीपीसीएल (स्वामित्व धारक कम्पनी) शामिल है।

[12] इस अध्याय में चार पीएसयूज शामिल नहीं हैं, जिनमें से तीन पीएसयूज (एसपीजीसीएल, वाईपीजीसीएल एवं एसयूपीपीटीसीएल) अकार्यरत थे एवं एक पीएसयू (यूपीएसआईडीसी पॉवर कम्पनी लिमिटेड) के लेखे तीन वर्षों से अधिक अवधि से बकाया थे।

[13] डिस्कॉम्स के ₹ 59,205.19 करोड़ के कुल ऋण जिसमें 30 सितंबर 2015 को ₹ 53,935.06 करोड़ के बकाया ऋण एवं वित्तीय पुर्नगठन योजना (एफआरपी)–2012 के तहत 2015–16 के दौरान राज्य सरकार द्वारा पहले से ही अधिग्रहीत किये गये ₹ 5,270.13 करोड़ के बॉन्ड शामिल हैं।

[14] इसमें 2015–16 एवं 2016–17 में राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहीत किये गये ₹ 39,133.76 करोड़ एवं वित्तीय पुर्नगठन योजना (एफआरपी)– 2012 के तहत 2015–16 के दौरान राज्य सरकार द्वारा पहले से ही अधिग्रहीत किये गये ₹ 5,270.13 करोड़ शामिल हैं।

[15] डिस्कॉम्स के वित्तीय एवं प्रचालन परिवर्तन के लिए ऊर्जा मंत्रालय (एमओपी), भारत सरकार (जीओआई) द्वारा प्रारम्भ की गयी योजना।

## ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों को बजटीय सहायता

**1.5** उत्तर प्रदेश सरकार (जीओयूपी) वार्षिक बजट के माध्यम से विभिन्न रूपों में ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। 31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले पिछले तीन वर्षों में, ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के सम्बंध में वर्ष के दौरान पूँजी, ऋण, अनुदान/सब्सिडी, अपलिखित ऋण एवं पूँजी में परिवर्तित ऋणों के बारे में बजटीय सहायता का सारांश **तालिका 1.3** में दिया गया है।

**तालिका 1.3: 31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले विगत तीन वर्षों के दौरान ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों को बजटीय सहायता का विवरण**

| विवरण[16] | 2016-17 | | 2017-18 | | 2018-19 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | पीएसयूज की संख्या[17] | धनराशि (₹ करोड़ में) | पीएसयूज की संख्या[17] | धनराशि (₹ करोड़ में) | पीएसयूज की संख्या[17] | धनराशि (₹ करोड़ में) |
| पूँजी की जावक (i) | 3 | 12,205.98 | 4 | 8,234.53 | 3 | 13,409.18 |
| दिये गये ऋण (ii) | 1 | 3,700.32 | - | 0.00 | 1 | 615.45 |
| प्रदत्त अनुदान/सब्सिडी (iii) | 1 | 14,817.66 | 2 | 7,593.19 | 2 | 17,157.09 |
| **कुल जावक (i+ii+iii)** | **3**[18] | **30,723.96** | **4**[18] | **15,827.72** | **3**[18] | **31,181.72** |
| ऋण अपलिखित/अनुदान में परिवर्तन | - | - | - | - | 1 | 4,891.72 |
| ऋणों का पूँजी में परिवर्तन | - | - | - | - | - | - |
| बकाया प्रत्याभूतियां | 3 | 52,791.17 | 3 | 57,912.93 | 4 | 85,998.73 |
| प्रत्याभूति प्रतिबद्धता | 2 | 62,518.98 | 2 | 31,488.20 | 3 | 13,198.56 |

***स्रोतः पीएसयूज से प्राप्त जानकारी, शासनादेशों एवं वार्षिक लेखाओं के आधार पर संकलित।***

मार्च 2019 को समाप्त होने वाले पिछले तीन वर्षों के लिए पूँजी, ऋण एवं अनुदान/सब्सिडी में बजटीय सहायता का विवरण **चार्ट 1.1** में दिया गया है।

**चार्ट 1.1: पूँजी, ऋणों एवं अनुदान/सब्सिडी के रूप में बजटीय सहायता**

**(₹ करोड़ में)**

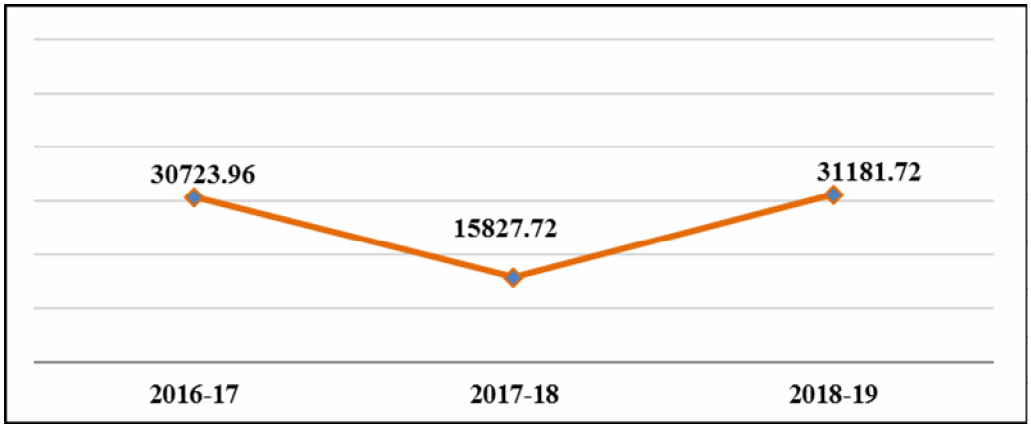


[16] यह राशि केवल राज्य के बजट से जावक को दर्शाती है।

[17] जीओयूपी यूपीपीसीएल एवं यूपीआरवीयूएनएल को उनकी सहायक कम्पनियों की ओर से पूँजी देती है। अतः, सरकार के धन के निवेश के उद्देश्य के लिए केवल स्वामित्व धारक वाली कम्पनियों को उनकी सहायक कम्पनियों की ओर से शामिल किया गया है। शेष दो ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रम यूपीपीटीसीएल एवं यूपीजेवीएनएल हैं। 2016–17 एवं 2018–19 के दौरान, जीओयूपी द्वारा यूपीजेवीएनएल को पूँजी, ऋण एवं अनुदान/सब्सिडी के रूप में कोई बजटीय सहायता नहीं दी गयी है।

[18] यह संख्या ऐसी कम्पनियों की संख्या को दर्शाती है जिन्होंने राज्य बजट से जावक एक या एक से अधिक मदों में प्राप्त की है जैसे कि पूँजी, ऋण एवं अनुदान/सब्सिडी।

वर्ष 2016–17 से 2018–19 की अवधि के दौरान, ऊर्जा क्षेत्र के इन पीएसयूज को वर्ष के दौरान प्राप्त बजटीय सहायता ₹ 15,827.72 करोड़ एवं ₹ 31,181.72 करोड़ के मध्य थी। वर्ष 2018–19 के दौरान प्राप्त ₹ 31,181.72 करोड़ की बजटीय सहायता में पूँजी, ऋणों एवं अनुदान/सब्सिडी के रूप में क्रमशः ₹ 13,409.18 करोड़, ₹ 615.45 करोड़ एवं ₹ 17,157.09 करोड़ शामिल थे।

इसके अतिरिक्त, ऊर्जा मंत्रालय (एमओपी), भारत सरकार ने राज्य स्वामित्व वाली विद्युत वितरण कम्पनियों (डिस्कॉम्स) के प्रचालन एवं वित्तीय पुनरोत्थान के लिए उदय योजना भी प्रारम्भ की (20 नवंबर 2015)। उदय योजना के प्रावधानों एवं पाँच डिस्कॉम्स के द्वारा योजना के क्रियान्वयन के स्थिति की चर्चा इस अध्याय के ***प्रस्तर 1.20*** के अन्तर्गत की गयी है।

बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों से वित्तीय सहायता प्राप्त करने में पीएसयूज को सक्षम बनाने के लिए, उत्तर प्रदेश सरकार (जीओयूपी) गारंटी प्रदान करती है, जिसके लिए 0.25 प्रतिशत से एक प्रतिशत की दर पर गारंटी कमीशन लिया जाता है जोकि जीओयूपी द्वारा उधारकर्ताओ के आधार पर तय किया गया (15 सितंबर 2000)। बकाया गारंटी 31 मार्च 2019 को ₹ 85,998.73 करोड़ थी। दो पीएसयूज[19] के द्वारा 2018–19 के दौरान ₹ 0.25 करोड़ का गारंटी कमीशन का भुगतान किया गया था।

## उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखाओं के साथ मिलान

**1.6** राज्य पीएसयूज के अभिलेखों के अनुसार पूँजी, ऋण एवं बकाया गारंटियों से सम्बंधित आँकड़े, उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखाओं में दर्शाये गये आँकड़ों से मेल खाने चाहिए। यदि उक्त आँकड़े मेल नहीं खाते हैं, तो सम्बंधित पीएसयूज एवं वित्त विभाग को अन्तर का मिलान करना चाहिए। 31 मार्च 2019 को इससे सम्बंधित स्थिति **तालिका 1.4** में दी गयी है।

**तालिका 1.4: वित्त लेखाओं एवं ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के अभिलेखों के अनुसार पूँजी, ऋण एवं बकाया गारंटी**

**(₹ करोड़ में)**

| ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों का नाम | पूँजी | | अन्तर | ऋण | | अन्तर | गारंटियां | | अन्तर |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | वित्त लेखाओं के अनुसार | पीएसयूज के अभिलेखों के अनुसार | | वित्त लेखाओं के अनुसार | पीएसयूज के अभिलेखों के अनुसार | | वित्त लेखाओं के अनुसार | पीएसयूज के अभिलेखों के अनुसार | |
| कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी लिमिटेड | 0.07 | 0.00 | 0.07 | - | - | - | - | - | - |
| उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड | 10,796.79 | 12,305.55 | 1,508.76 | - | - | - | - | - | - |
| उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रान्समिशन कार्पोरेशन लिमिटेड | 11,382.00 | 11,846.80 | 464.80 | - | - | - | - | - | - |
| उत्तर प्रदेश पॉवर कार्पोरशन लिमिटेड | - | - | - | 10,398.89 | 5,507.17 | 4,891.72 | - | - | - |
| उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड | - | - | - | 0.00 | 64.65 | 64.65 | - | - | - |
| **कुल अन्तर** | | | **1,973.63** | | | **4,956.37** | | | - |

***स्रोत : पीएसयूज एवं वित्त लेखाओं से प्राप्त जानकारी के आधार पर संकलित।***

लेखापरीक्षा ने देखा कि ऊर्जा क्षेत्र के पाँच पीएसयूज के सम्बंध में इस तरह का अन्तर है जो कि उपर्युक्त तालिका में दिखाया गया। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड एवं उत्तर प्रदेश ट्रान्समिशन कार्पोरेशन लिमिटेड की पूँजी में भिन्नता का कारण (जैसा इन पीएसयूज के लेखाओं से देखा गया है) वर्ष 2018–19 के दौरान सरकार द्वारा जारी की गयी पूँजी का वित्त लेखा 2018–19 में न/कम लेखांकन करना था। इसके

[19] यूपीआरवीयूएनएल एवं यूपीपीटीसीएल।

अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड के ऋण में भिन्नता का कारण 2018–19 में सरकार द्वारा ₹ 4,891.72 करोड़ के ऋण का अनुदान में परिवर्तन का वित्त लेखा 2018–19 में लेखांकन न करना था। कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी लिमिटेड एवं उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड के ऑकड़ों में अन्तर गत कई वर्षों से विद्यमान हैं।

अन्तर के समाधान हेतु इस मुद्दे को पीएसयूज/विभागों के साथ समय–समय पर उठाया गया है। **इसलिए लेखापरीक्षा की अनुशंसा हैं कि राज्य सरकार एवं सम्बंधित पीएसयूज को अन्तर का समयबद्ध तरीके से समाधान करना चाहिए।**

## ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतीकरण

### *ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखाओं के तैयार करने में समयबद्धता*

**1.7.1** सीएजी के लेखापरीक्षा के अधिकार क्षेत्र में 31 दिसंबर 2019 तक ऊर्जा क्षेत्र के 15 उपक्रम[20] थे। 11 पीएसयूज ने अपने 2018–19 के लेखाओं को 31 दिसंबर 2019 तक प्रस्तुत किया था। 31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वित्त वर्ष के ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के लेखाओं के 31 दिसंबर[21] को प्रस्तुतीकरण में बकाया का विवरण **तालिका 1.5** में दिया गया है।

**तालिका 1.5: ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखाओं को प्रस्तुत करने की स्थिति**

| क्रं0 सं0 | विवरण | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | पीएसयूज की संख्या | 15 | 15 | 15 |
| 2. | प्रस्तुतीकरण के लिए नियत लेखाओं की संख्या | 48 | 43 | 37 |
| 3. | चालू वर्ष के दौरान प्रस्तुत किये गये लेखाओं की संख्या | 20 | 21 | 28 |
| 4. | पीएसयूज की संख्या जिनके चालू वर्ष के लेखाओं को अन्तिम रूप दिया गया | 1 | 2 | 11 |
| 5. | पिछले वर्ष के लेखाओं की संख्या जिसे चालू वर्ष में अन्तिम रूप दिया गया | 19 | 19 | 17 |
| 6. | पीएसयूज की संख्या जिनके लेखे बकाया हैं | 14 | 13 | 4 |
| 7. | बकाया लेखाओं की संख्या | 28 | 22 | 9 |
| 8. | बकाया की सीमा | एक से तीन वर्ष | एक से चार वर्ष | एक से पाँच वर्ष |

***स्रोतः दिसंबर 2019 तक प्राप्त किये गये पीएसयूज के लेखाओं के आधार पर संकलित।***

ऊर्जा क्षेत्र के 15 पीएसयूज में से, 14 पीएसयूज ने 28 वार्षिक लेखाओं को 01 अक्टूबर 2018 से 31 दिसंबर 2019 की अवधि के दौरान अन्तिम रूप दिया था, जिसमें वर्ष 2018–19 के 11 वार्षिक लेखे एवं गतवर्षों के 17 वार्षिक लेखे शामिल थे। इसके अतिरिक्त, चार पीएसयूज के नौ वार्षिक लेखे बकाया थे।

जीओयूपी ने ऊर्जा क्षेत्र के चार पीएसयूज जिनके लेखे 31 दिसंबर 2019 तक बकाया थे, में से दो पीएसयूज में 2017–18 एवं 2018–19 के दौरान ₹ 28,012.33 करोड़ (पूँजीः ₹ 10,335.58 करोड़, ऋणः ₹ 615.45 करोड़, अनुदानः ₹ 6,032.59 करोड़ एवं सब्सिडीः ₹ 11,028.71 करोड़) का निवेश किया था जबकि शेष दो पीएसयूज में लेखाओं

[20] दो कम्पनियों क्रमशः सोनभद्र पॉवर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड और यमुना पॉवर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड ने अपने बी.ओ.डी. के दिनांक 01 अप्रैल 2019 की बैठक में लिये गये निर्णय द्वारा कम्पनियों को बन्द कर दिया। आगे दोनों कम्पनियों के नाम कम्पनियों के रजिस्टर से अगस्त 2020 में हटा दिये गये है।

[21] वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 के लिए क्रमशः 30 सितंबर 2017 एवं 30 सितंबर 2018 तक प्राप्त किये गये लेखाओं को लिया गया है।

की बकाया अवधि के दौरान निवेश नहीं किया गया था जिसका विवरण ***परिशिष्ट–1.3*** में दर्शाया गया है।

इन पीएसयूज की गतिविधियों की निगरानी एवं इन पीएसयूज द्वारा लेखाओं के निर्धारित समय में अन्तिम रूप दिये जाने एवं अपनाये जाने को सुनिश्चित करने का दायित्व प्रशासनिक विभागों पर है। सम्बंधित विभागों को बकाया लेखाओं के सम्बंध में निरन्तर रूप से सूचित किया गया था।

### *राज्य ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज के द्वारा लेखाओं के अन्तिमीकरण नहीं किये जाने के प्रभाव*

**1.7.2** लेखाओं के विलम्ब से अन्तिमीकरण से कम्पनी अधिनियम, 2013 के अधिनियमों के प्रावधानों के उल्लंघन के अतिरिक्त धोखाधड़ी एवं सार्वजनिक धन के क्षरण का भी जोखिम रहता है। उपर्युक्त बकाया की स्थिति की वजह से, राज्य ऊर्जा क्षेत्र के इन चार पीएसयूज के लेखाओं के बकाया की अवधि में कार्य निष्पादन सहित लाभ/हानि एवं राज्य की जीडीपी में योगदान का आंकलन/राज्य विधायिका को प्रतिवेदित नहीं किया जा सका। लेखाओं के अन्तिमीकरण एवं इनकी अनुवर्ती लेखापरीक्षा के अभाव में इन पीएसयूज में, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि किये गये निवेश एवं व्यय क्या सही रूप से लेखांकित किये गये एवं धन का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया गया था जिसके लिए ये राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए गए थे।

**अतः यह अनुशंसा की जाती है कि प्रशासकीय विभागों द्वारा कड़ी निगरानी रखी जानी चाहिए तथा लेखाओं के बकाया की समाप्ति के लिये आवश्यक निर्देश जारी किये जाने चाहिए। पीएसयूज द्वारा लेखे तैयार करने में आने वाली बाधाओं पर सरकार को भी ध्यान देना चाहिए तथा बकाया लेखाओं को पूर्ण करने हेतु आवश्यक कदम उठाना चाहिए।**

## अकार्यरत राज्य पीएसयूज का समापन

**1.8** 31 मार्च 2019 को ऊर्जा क्षेत्र के तीन पीएसयूज यथा यमुना पॉवर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड, सोनभद्र पॉवर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड एवं सदर्न यूपी पॉवर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड अकार्यरत कम्पनियां थीं। यमुना पॉवर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड एवं सोनभद्र पॉवर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड को बंद करने का निर्णय जीओयूपी द्वारा क्रमशः 05 मई 2015 एवं 02 जुलाई 2018 को लिया गया। इसके उपरान्त, दोनों कम्पनियों को उनके सम्बंधित निदेशक मण्डल द्वारा अप्रैल 2019 में बंद कर दिया गया।

**आगे, ऊर्जा क्षेत्र के शेष पीएसयू यथा सदर्न यूपी पॉवर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड के समापन के सम्बंध में, सरकार उचित निर्णय ले सकती है।**

## ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों का निष्पादन

**1.9** 31 दिसंबर 2019 तक उनके नवीनतम अन्तिम रूप दिये गये लेखाओं के अनुसार ऊर्जा क्षेत्र के 11 उपक्रमों की वित्तीय स्थिति एवं कार्यपरिणाम ***परिशिष्ट–1.1*** में दिये गये हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सरकार द्वारा इन उपक्रमों में किये गये निवेश पर उचित प्रतिफल प्रदान करना अपेक्षित है। ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज में 31 मार्च 2019 को राज्य सरकार एवं अन्य के निवेश की राशि ₹ 1,97,352.73 करोड़ थी जिसमें पूँजी के रूप में ₹ 1,17,912.08 करोड़ एवं दीर्घावधि ऋण के रूप में ₹ 79,440.65 करोड़ सम्मिलित थे जिसका विवरण ***परिशिष्ट–1.2*** में दिया गया है। इसमें से ऊर्जा क्षेत्र के चार पीएसयूज[22]

[22] जीओयूपी, यूपीपीसीएल एवं यूपीआरवीयूएनएल को उनकी सहायक कम्पनियों की ओर से पूँजी देती है। अतः सरकार के धन के निवेश के उद्देश्य से उनकी सहायक कम्पनी की ओर से केवल स्वामित्व धारक कम्पनियों को शामिल किया गया है। ऊर्जा क्षेत्र के शेष दो उपक्रम यूपीपीटीसीएल एवं यूपीजेवीएनएल हैं।

में जीओयूपी का निवेश ₹ 1,23,483.54 करोड़ था जिसमें पूँजी के ₹ 1,17,911.72 करोड़ एवं दीर्घावधि ऋण के रूप में ₹ 5,571.82 करोड़ सम्मिलित थे। ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज में 2016–17 से 2018–19 के अवधि के अन्त में पूँजी एवं दीर्घावधि ऋण के रूप में जीओयूपी के निवेश की समेकित स्थिति **चार्ट 1.2** में दर्शायी गयी है।

**चार्ट 1.2: ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों में जीओयूपी का कुल निवेश**

**(₹ करोड़ में)**

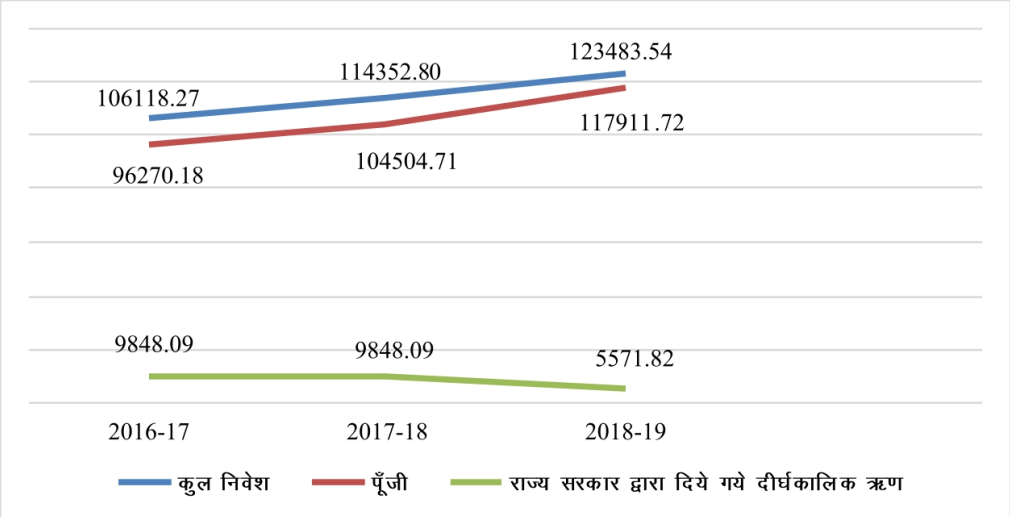


कम्पनी की लाभदायकता पारम्परिक रूप से निवेश पर प्रतिफल, पूँजी पर प्रतिफल एवं नियोजित पूँजी पर प्रतिफल से मापी जाती है। निवेश पर प्रतिफल एक निश्चित वर्ष में हुए लाभ अथवा हानि को पूँजी एवं दीर्घावधि ऋणों के रूप में निवेश की गई राशि से मापा जाता है एवं लाभ को कुल निवेश के प्रतिशत के रूप में दर्शाया जाता है। पूँजी पर प्रतिफल निष्पादन की माप है जिसकी गणना करों के पश्चात के लाभों को शेयरधारकों की निधि से विभाजित करके की जाती है। नियोजित पूँजी पर प्रतिफल एक वित्तीय अनुपात है जो कि कम्पनी की लाभदायकता एवं उसके पूँजी के उपयोग की दक्षता को मापता है एवं इसकी गणना, कम्पनी के ब्याज एवं करों से पूर्व की आय को नियोजित पूँजी द्वारा विभाजित करके की जाती है।

### *निवेश पर प्रतिफल*

**1.10** निवेश पर प्रतिफल लाभ अथवा हानि का कुल निवेश से प्रतिशत है। 2016–17 से 2018–19 के दौरान ऊर्जा क्षेत्र के 11 उपक्रमों द्वारा समग्र हानि[23] की स्थिति को **चार्ट 1.3** में दर्शाया गया है।

**चार्ट 1.3: ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा उठाई गई हानि**

**(₹ करोड़ में)**

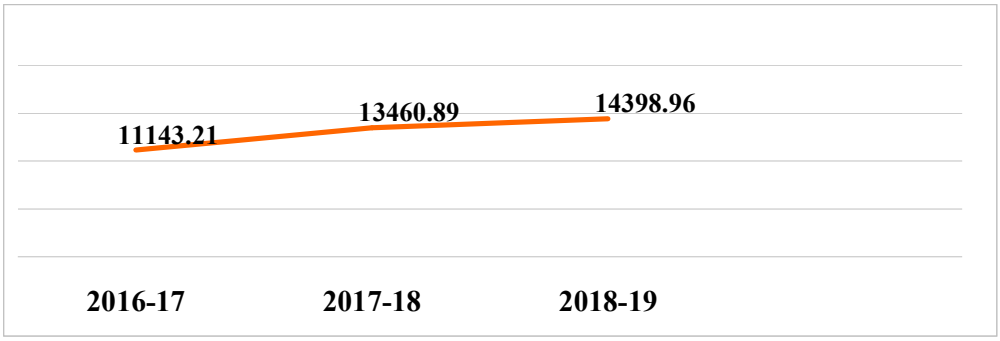


[23] 31 दिसंबर 2019 तक नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के आधार पर आँकड़े।

ऊर्जा क्षेत्र के इन 11 पीएसयूज द्वारा 2016–17 एवं 2017–18 में हुई क्रमशः ₹ 11,143.21 करोड़ एवं ₹ 13,460.89 करोड़ की हानि के सापेक्ष 2018–19 में ₹ 14,398.96 करोड़ हानि हुई ***(परिशिष्ट–1.1)***। पीएसयूज के नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के आधार पर, दो पीएसयूज ने ₹ 126.39 करोड़ का लाभ अर्जित किया एवं नौ पीएसयूज ने ₹ 14,525.35 करोड़ की हानि उठाई जैसा कि ***(परिशिष्ट–1.4)*** में वर्णित है।

ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों जिन्होंने 2016–17 से 2018–19 के अवधि के दौरान लाभ अर्जित/हानि उठाई, की स्थिति का विवरण **तालिका 1.6** में दिया गया है।

**तालिका 1.6: ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज द्वारा अर्जित लाभ/उठाई गई हानि**

| वर्ष के दौरान | इस अध्याय में शामिल किये गये ऊर्जा क्षेत्र के कुल पीएसयूज | वर्ष के दौरान लाभ अर्जित करने वाले पीएसयूज की संख्या | वर्ष के दौरान हानि उठाने वाले पीएसयूज की संख्या | वर्ष के दौरान पीएसयूज की संख्या जिसमें लाभ/हानि नहीं थी |
|---|---|---|---|---|
| 2016-17 | 11 | 2 | 8 | 1 |
| 2017-18 | 11 | 3 | 8 | - |
| 2018-19 | 11 | 2 | 9 | - |

### *निवेश के वर्तमान मूल्य के आधार पर वास्तविक प्रतिफल*

**1.11** राज्य सरकार द्वारा ऊर्जा क्षेत्र की सभी उपक्रमों में महत्वपूर्ण निवेश को दृष्टिगत रखते हुए सरकार के दृष्टिकोण से इस निवेश पर प्रतिफल आवश्यक है। जीओयूपी द्वारा ऊर्जा क्षेत्र के 11 उपक्रमों में निवेशित धनराशि पर वास्तविक प्रतिफल पर पहुँचने के लिए, निवेश के वर्तमान मूल्य निकालने के बाद निवेश पर प्रतिफल की गणना की गयी है। राज्य सरकार के निवेश पर, तत्कालीन विद्युत बोर्ड के पुनर्गठन (2000–01) के बाद से 31 मार्च 2019 तक ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के अन्तिमीकृत बैलेंस शीट से राज्य सरकार द्वारा पूँजी, ब्याज मुक्त दीर्घावधि ऋण एवं परिचालन एवं प्रबंधकीय व्यय के लिए दिए गए अनुदान/सब्सिडी के रूप निवेशित धनराशि पर वर्तमान मूल्य की गणना की गयी।

राज्य सरकार द्वारा ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों में निवेशित धनराशि पर वर्तमान मूल्य (पीवी) की गणना निम्न धारणाओं के आधार पर की गयी है:

- ब्याज मुक्त दीर्घावधि ऋण एवं परिचालन एवं प्रबंधकीय व्यय के लिए दिए गए अनुदान/सब्सिडी को राज्य सरकार द्वारा किये गये धन का निवेश माना गया है। आगे, उन प्रकरणों में जिनमें पीएसयूज को दिया गया ब्याज मुक्त ऋण बाद में पूँजी में परिवर्तित किया गया है, पूँजी में परिवर्तित ऋण के मूल्य को ब्याज मुक्त ऋण के मूल्य में से घटाकर उस वर्ष की पूँजी में जोड़ा गया है।

- सम्बंधित वित्तीय वर्ष[24] के लिए वर्तमान मूल्य की गणना करने के उद्देश्य से सरकारी ऋणों पर ब्याज की औसत दर को चक्रवृद्धित दर के रूप में अपनाया गया है क्योंकि यह वर्ष के दौरान निवेश किये गये धन पर सरकार द्वारा वहन की गयी लागत को दर्शाता है एवं इसलिए इसे सरकार द्वारा किए गए निवेश पर वसूली का न्यूनतम अपेक्षित प्रतिफल दर माना गया है।

2016–17 से 2018–19 की अवधि के दौरान जब आठ से नौ पीएसयूज ने हानियाँ उठायीं, हानि के कारण निवल मूल्य का क्षरण निष्पादन का अधिक उपयुक्त माप है। पीएसयूज के निवल मूल्य के क्षरण पर ***प्रस्तर 1.13*** में टिप्पणी की गयी है।

[24] सरकारी उधारियों पर ब्याज की औसत दर सम्बंधित वर्ष के लिये = ब्याज भुगतान/[(गत वर्ष की राजकोषीय देनदारियाँ + वर्तमान वर्ष की राजकोषीय देनदारियाँ)/2] * 100।

**1.12** ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों में राज्य सरकार द्वारा पूँजी, ऋण एवं अनुदान/सब्सिडी के रूप में धन के निवेश की इन पीएसयूज के प्रारम्भ से 31 मार्च 2019 तक स्थिति ***परिशिष्ट–1.5*** में इंगित की गयी है। वर्ष 2000–01 से 31 मार्च 2019 तक उनके सम्बंध में राज्य सरकार के निवेश की पीवी की समेकित स्थिति को **तालिका 1.7** में इंगित किया गया है।

**तालिका 1.7: 2000–01 से 2018–19 तक राज्य सरकार द्वारा निवेश की गयी धनराशि एवं सरकार के निवेश का वर्तमान मूल्य (पीवी) का वर्षवार ब्योरा**

**(₹ करोड़ में)**

| वित्तीय वर्ष | वर्ष के आरम्भ में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य | वर्ष के दौरान जीओयूपी द्वारा निवेश की गयी पूँजी | जीओयूपी द्वारा दिये गये ब्याज मुक्त ऋण | जीओयूपी द्वारा दिये गये अनुदान/ सब्सिडी | वर्ष के दौरान कुल निवेश | वर्ष के अन्त में कुल निवेश | सरकारी उधारियों पर ब्याज की औसत दर (प्रतिशत में) | वर्ष के अन्त में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य | वर्ष के लिये धन के निवेश की लागत की वसूली के लिए न्यूनतम अपेक्षित प्रतिफल | लाभ एवं हानि विवरण के आधार पर वर्ष के कुल अर्जन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **i** | **ii** | **iii** | **iv** | **v** | **vi= iii+iv+v** | **vii=ii+vi** | **viii** | **ix= vii* (1+viii/100)** | **x= vii* viii/100** | **xi** |
| 2000-01तक | | 6,336.47 | 3.55 | 294.23 | 6,634.25 | 6,634.25 | 9.58 | 7,269.81 | 635.56 | -2,760.04 |
| 2001-02 | 7,269.81 | 315.03 | 0.00 | 1,060.39 | 1,375.42 | 8,645.23 | 9.49 | 9,465.66 | 820.43 | -1,562.66 |
| 2002-03 | 9,465.66 | 225.90 | 0.00 | 972.15 | 1,198.05 | 10,663.71 | 7.22 | 11,433.63 | 769.92 | -1,453.67 |
| 2003-04 | 11,433.63 | 6,051.30 | 0.00 | 1,171.14 | 7,222.44 | 18,656.07 | 9.13 | 20,359.37 | 1,703.30 | -1,420.28 |
| 2004-05 | 20,359.37 | 906.80 | 0.00 | 1,229.06 | 2,135.86 | 22,495.23 | 9.47 | 24,625.53 | 2,130.30 | -2,404.25 |
| 2005-06 | 24,625.53 | 794.60 | 0.00 | 1,372.33 | 2,166.93 | 26,792.46 | 6.49 | 28,531.29 | 1,738.83 | -3,146.92 |
| 2006-07 | 28,531.29 | 3,113.53 | 0.00 | 1,588.90 | 4,702.43 | 33,233.72 | 6.74 | 35,473.68 | 2,239.95 | -4,288.59 |
| 2007-08 | 35,473.68 | 5,046.98 | 0.00 | 1,984.15 | 7,031.13 | 42,504.81 | 6.43 | 45,237.86 | 2,733.06 | -7,930.94 |
| 2008-09 | 45,237.86 | 6,222.34 | 0.00 | 1,920.15 | 8,142.49 | 53,380.35 | 6.29 | 56,737.98 | 3,357.62 | -10,585.24 |
| 2009-10 | 56,737.98 | 5,322.37 | 0.00 | 1,909.04 | 7,231.41 | 63,969.39 | 6.16 | 67,909.90 | 3,940.51 | -8,915.78 |
| 2010-11 | 67,909.90 | 4,383.52 | 0.00 | 2,169.41 | 6,552.93 | 74,462.83 | 6.67 | 79,429.50 | 4,966.67 | -8,678.69 |
| 2011-12 | 79,429.50 | 4,314.36 | 0.00 | 3,811.85 | 8,126.21 | 87,555.71 | 6.62 | 93,351.90 | 5,796.19 | -11,912.16 |
| 2012-13 | 93,351.90 | 3,825.53 | 0.00 | 5,010.13 | 8,835.66 | 1,02,187.56 | 6.73 | 1,09,064.79 | 6,877.22 | -13,149.52 |
| 2013-14 | 1,09,064.79 | 6,580.90 | 0.00 | 5,315.37 | 11,896.27 | 1,20,961.06 | 6.43 | 1,28,738.85 | 7,777.80 | -17,718.16 |
| 2014-15 | 1,28,738.85 | 11,546.16 | 0.00 | 12,647.70 | 24,193.86 | 1,52,932.71 | 6.40 | 1,62,720.40 | 9,787.69 | -19,110.93 |
| 2015-16 | 1,62,720.40 | 19,078.43 | 6,083.12 | 22,385.92 | 47,547.47 | 2,10,267.87 | 6.35 | 2,23,619.88 | 13,352.01 | -18,126.21 |
| 2016-17 | 2,23,619.88 | 12,205.97 | 3,700.32 | 14,817.66 | 30,723.95 | 2,54,343.83 | 6.82 | 2,71,690.08 | 17,346.25 | -11,143.21 |
| 2017-18 | 2,71,690.08 | 8,234.52 | 0.00 | 7,593.19 | 15,827.71 | 2,87,517.79 | 6.54 | 3,06,321.46 | 18,803.66 | -13,460.89 |
| 2018-19 | 3,06,321.46 | 13,407.01 | -4,891.72 | 17,157.09 | 25,672.38 | 3,31,993.84 | 6.50 | 3,53,573.44 | 21,579.60 | -14,398.96 |
| **अवधि के कुल योग** | | **1,17,911.72** | **4,895.27** | **1,04,409.86** | **2,27,216.85** | | | | | |

राज्य सरकार द्वारा इन 11 पीएसयूज में निवेशित धनराशि का वर्ष के अन्त में अधिशेष वर्ष 2000–01 के ₹ 6,634.25 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2018–19 में ₹ 2,27,216.85 करोड़ हो गया क्योंकि आगे राज्य सरकार ने पूँजी (₹ 1,11,575.25 करोड़) एवं ब्याज मुक्त दीर्घावधि ऋण एवं अनुदान/सब्सिडी (₹ 1,09,007.35 करोड़) के रूप में धनराशि निवेश की। राज्य सरकार द्वारा निवेश की गयी धनराशि की पीवी 31 मार्च 2019 को ₹ 3,53,573.44 करोड़ आती है।

यह देखा जा सकता है कि 2000–01 से 2018–19 के अवधि के दौरान इन पीएसयूज से सम्बंधित वर्ष की कुल आय ऋणात्मक रही जो कि यह दर्शाता है कि ये पीएसयूज सरकार के धन की लागत को भी नहीं वसूल कर पाये।

### *निवल मूल्य का क्षरण*

**1.13** प्रदत्त पूँजी एवं मुक्त संचयों एवं अधिशेष के कुल योग में से संचित हानि एवं स्थगित राजस्व व्यय को घटाने पर निवल मूल्य आता है। वास्तव में यह इसकी माप है कि एक उपक्रम स्वामियों के लिए कितना मूल्यवान है। ऋणात्मक निवल मूल्य यह दर्शाता है कि स्वामियों का समस्त निवेश संचित हानियों एवं स्थगित राजस्व व्यय के द्वारा लुप्त हो गया है।

इस अध्याय में शामिल 11 पीएसयूज की 31 मार्च 2019 को संचित हानियाँ ₹ 1,62,180.07 करोड़ थी। 11 पीएसयूज में से, नौ पीएसयूज ने 2018–19 में ₹ 14,525.35 करोड़ की हानियाँ उठाई। इसके अलावा, दो पीएसयूज ने 2018–19 में लाभ अर्जित किया एवं इनका संचित लाभ ₹ 1,176.05 करोड़ था।

11 पीएसयूज में से छः का निवल मूल्य संचित हानियों के कारण पूरी तरह से समाप्त हो गया। 31 मार्च 2019 तक इन छः पीएसयूज में पूँजी निवेश के ₹ 72,338.46 करोड़ के सापेक्ष इन पीएसयूज का निवल मूल्य (–₹ 74,102.48 करोड़) ऋणात्मक था ***(परिशिष्ट–1.1)***।

पाँच[25] पीएसयूज जिनका निवल मूल्य मार्च 2019 के अन्त में धनात्मक था, में से दो[26] का निवल मूल्य उसके प्रदत्त पूँजी के आधे से भी कम था जो उनकी संभावित वित्तीय रुग्णता का संकेत है।

ऊर्जा क्षेत्र के 11 उपक्रमों के 31 दिसंबर 2019 तक नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के आधार पर 2016–17 से 2018–19 की अवधि के दौरान (जीओयूपी द्वारा धन का निवेश[27] जहाँ किया गया हो) प्रदत्त पूँजी, संचित लाभ/हानियाँ एवं निवल मूल्य **तालिका 1.8** में दर्शाया गया है।

**तालिका 1.8: 2016–17 से 2018–19 के अवधि के दौरान ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों का निवल मूल्य**

**(₹ करोड़ में)**

| वर्ष के दौरान | वर्ष के अन्त में प्रदत्त पूँजी | वर्ष के अन्त में संचित हानियाँ | स्थगित राजस्व व्यय | निवल मूल्य |
|---|---|---|---|---|
| 2016-17 | 96,089.59 | 1,42,612.30 | 4.13 | -46,526.84 |
| 2017-18 | 1,04,323.31 | 1,56,236.42 | 3.95 | -51,917.06 |
| 2018-19 | 1,16,578.99 | 1,62,180.07 | 0.18 | -45,601.26 |

### *लाभांश का भुगतान*

**1.14** राज्य सरकार ने एक लाभांश नीति तैयार की (अक्टूबर 2002) जिसके अन्तर्गत लाभ अर्जन करने वाले पीएसयूज को राज्य सरकार द्वारा किये गये अंशपूँजी निवेश पर न्यूनतम पाँच प्रतिशत का लाभांश भुगतान करना होता है।

2016–17 से 2018–19 के अवधि के दौरान ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों से सम्बंधित लाभांश भुगतान जहाँ जीओयूपी द्वारा धन का निवेश किया गया था, **तालिका 1.9** में दिखाया गया है।

---

[25] एमवीवीएनएल, जेवीयूएनएल, यूपीआरवीयूएनएल, यूपीजेवीएनएल एवं यूपीपीटीसीएल।

[26] एमवीवीएनएल एवं यूपीजेवीएनएल।

[27] सहायक कम्पनियों (*परिशिष्ट–1.1* के क्रम सं0 3, 5 से 9 एवं 11) के संदर्भ में पूँजी उनकी सम्बंधित स्वामित्व धारक कम्पनियों द्वारा निवेश की गयी थी।

**तालिका 1.9: ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा 2016–17 से 2018–19 की अवधि के दौरान लाभांश भुगतान**

| वर्ष के दौरान | कुल पीएसयूज जहाँ जीओयूपी द्वारा पूँजी का निवेश किया गया | | वर्ष के दौरान लाभ में रहने वाले पीएसयूज | | वर्ष के दौरान लाभांश की घोषणा करने/भुगतान करने वाले पीएसयूज | | लाभांश भुगतान अनुपात (प्रतिशत में) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | पीएसयूज की संख्या | जीओयूपी द्वारा निवेशित पूँजी (₹ करोड़ में) | पीएसयूज की संख्या | जीओयूपी द्वारा निवेशित पूँजी (₹ करोड़ में) | पीएसयूज की संख्या | पीएसयूज द्वारा लाभांश की घोषणा /भुगतान (₹ करोड़ में) | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8 (7/ 5*100)** |
| 2016-17 | 4 | 96,270.18 | 1 | 10,110.40 | - | - | - |
| 2017-18 | 4 | 1,04,504.71 | 1 | 10,796.79 | - | - | - |
| 2018-19 | 4 | 1,17,911.72 | 1 | 12,305.55 | - | - | - |

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ने 2018–19 में ₹ 123.75 करोड़ का लाभ अर्जित किया एवं 31 मार्च 2019 तक ₹ 1,173.67 करोड़ का संचित लाभ था। लेकिन, कम्पनी ने न तो सरकार को लाभांश दिया एवं न ही लेखाओं में उसके लिए कोई प्रावधान किया जो कि न्यूनतम लाभांश भुगतान से सम्बंधित राज्य सरकार के नीति के विरूद्ध है।

## पूँजी पर प्रतिफल

**1.15** पूँजी पर प्रतिफल (आरओई)[28] कम्पनी के वित्तीय निष्पादन की माप है एवं इसकी गणना शुद्ध आय (अर्थात करों के पश्चात शुद्ध लाभ) को शेयरधारकों की निधि से विभाजित करके की जाती है। इसको प्रतिशत के रूप में दर्शाया जाता है एवं इसकी गणना किसी भी कम्पनी के लिए की जा सकती है यदि शेयरधारकों की निधि धनात्मक हैं।

आरओई की गणना ऊर्जा क्षेत्र के 11 उपक्रमों में की गयी है, जिनमें राज्य सरकार द्वारा सीधे अथवा स्वामित्व धारक कम्पनियों (यूपीपीसीएल एवं यूपीआरवीयूएनएल अपनी सहायक कम्पनियों की स्थिति में) के माध्यम से धन का निवेश किया गया है। 2016–17 से 2018–19 की अवधि के दौरान ऊर्जा क्षेत्र के इन 11 उपक्रमों में शेयरधारकों की निधि एवं आरओई का विवरण **तालिका 1.10** में दर्शाया गया है।

**तालिका 1.10: ऊर्जा क्षेत्र के 11 उपक्रमों के पूँजी पर प्रतिफल**

| वर्ष | वर्ष के लिए शुद्ध आय/कुल अर्जन (₹ करोड़ में) | शेयरधारकों की पूँजी (₹ करोड़ में) | आरओई (प्रतिशत में) |
|---|---|---|---|
| 2016-17 | -11,143.21 | -46,526.84 | - |
| 2017-18 | -13,460.89 | -51,917.06 | - |
| 2018-19 | -14,398.96 | -45,601.26 | - |

***स्रोत: 31 दिसंबर 2019 तक नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के आधार पर संकलित आँकड़े।***

जैसा कि उपरोक्त तालिका में दृष्टिगत होता है कि, मार्च 2019 को समाप्त हुए गत तीन वर्षों के दौरान, सम्पूर्ण अवधि में शुद्ध आय एवं शेयरधारकों की निधि ऋणात्मक थी। 2016–17 से 2018–19 की अवधि के दौरान शेयरधारकों की निधि ऋणात्मक होने के कारण आरओई की गणना नहीं की जा सकी जो कि यह इंगित करता है कि इन पीएसयूज के दायित्व सम्पत्ति से अधिक है एवं अंशपूँजी पर प्रतिफल देने के स्थान पर, संचित हानियों ने सम्पूर्ण अंशपूँजी को समाप्त कर दिया।

---

[28] पूँजी पर प्रतिफल = (करों एवं अधिमान लाभांश के पश्चात शुद्ध आय ÷ पूँजी)* 100 जहाँ पूँजी = प्रदत्त पूँजी + मुक्त संचय – संचित हानियाँ – स्थगित राजस्व व्यय।

### *नियोजित पूँजी पर प्रतिफल*

**1.16** नियोजित पूँजी पर प्रतिफल (आरओसीई) एक अनुपात है जो किसी कम्पनी की लाभदायकता एवं इसके पूँजी के नियोजन की दक्षता को मापता है।

किसी कम्पनी के ब्याज एवं करों से पूर्व के आय (ईबीआईटी) को नियोजित पूँजी[29] द्वारा विभाजित करके आरओसीई की गणना की जाती है। 2016–17 से 2018–19 की अवधि के दौरान ऊर्जा क्षेत्र के 11 उपक्रमों के आरओसीई का विवरण तालिका 1.11 में दर्शाया गया है।

**तालिका 1.11: नियोजित पूँजी पर प्रतिफल**

| वर्ष के दौरान | ईबीआईटी (₹ करोड़ में) | नियोजित पूँजी (₹ करोड़ में) | आरओसीई (प्रतिशत) |
|---|---|---|---|
| 2016-17 | -7,749.34 | 13,442.86 | -57.65 |
| 2017-18 | -8,360.97 | 24,569.59 | -34.03 |
| 2018-19 | -7,955.17 | 33,841.62 | -23.51 |

***स्रोतः 31 दिसंबर 2019 तक नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के आधार पर संकलित आँकड़े।***

2016–17 से 2018–19 की अवधि के दौरान ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों की आरओसीई (–) 23.51 प्रतिशत से (–) 57.65 प्रतिशत की सीमा के मध्य रही।

### *ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के दीर्घावधि ऋणों का विश्लेषण*

**1.17** 2016–17 से 2018–19 के दौरान कम्पनियों के दीर्घकालिक ऋणों का विश्लेषण किया गया जिससे कम्पनियों द्वारा सरकार, बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के ऋणों के भुगतान करने के लिए कम्पनियों की क्षमता का मूल्यांकन हो सके। इसका मूल्यांकन ब्याज व्याप्ति अनुपात के माध्यम से किया जाता है।

### *ब्याज व्याप्ति अनुपात*

**1.18** ब्याज व्याप्ति अनुपात का उपयोग किसी कम्पनी के बकाया ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की क्षमता का निर्धारण करने के लिए किया जाता है एवं इसकी गणना ब्याज एवं करों से पूर्व के आय (ईबीआईटी) को उसी अवधि के ब्याज व्ययों से विभाजित करके की जाती है। अनुपात जितना कम होता है, कम्पनी की ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की क्षमता उतनी ही कम होती है। एक से कम का ब्याज व्याप्ति अनुपात इंगित करता है कि कम्पनी अपने ब्याज पर व्ययों को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व उत्पन्न नहीं कर पा रही है। पीएसयूज के ब्याज व्याप्ति अनुपात का विवरण, जिसमें 2016–17 से 2018–19 के अवधि के दौरान बकाया ऋण थे, **तालिका 1.12** में दर्शाया गया है।

**तालिका 1.12: ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज, जिनमें दीर्घकालिक ऋण पर ब्याज की देयता है, का ब्याज व्याप्ति अनुपात**

| वर्ष के दौरान | ब्याज (₹ करोड़ में) | ब्याज एवं करों से पूर्व की आय (₹ करोड़ में) | पीएसयूज की संख्या जिनमें सरकार, बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थानों के ऋणों पर ब्याज की देयता थी | पीएसयूज की संख्या जिनका ब्याज व्याप्ति अनुपात एक से अधिक था | पीएसयूज की संख्या जिनका ब्याज व्याप्ति अनुपात एक से कम था |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-17 | 3,200.22 | 822.67 | 8 | 2 | 6 |
| 2017-18 | 5,064.12 | -241.87 | 8 | 2 | 6 |
| 2018-19 | 6,405.53 | 161.08 | 8 | 1 | 7 |

[29] नियोजित पूँजी =प्रदत्त अंशपूँजी + मुक्त संचय एवं अधिशेष + दीर्घकालिक ऋण – संचित हानियाँ – स्थगित राजस्व व्यय।

यह देखा गया कि आठ पीएसयूज जिनमें 2016–17 से 2018–19 की अवधि के दौरान ब्याज सहित ऋण की देयता थी, 2016–17 एवं 2017–18 के दौरान दो पीएसयूज[30] एवं 2018–19 के दौरान एक पीएसयू[31] में एक से अधिक का ब्याज व्याप्ति अनुपात था, जबकि शेष छः पीएसयूज में ऋणात्मक/एक से कम का ब्याज व्याप्ति अनुपात था। यह इंगित करता है कि ये पीएसयूज इस अवधि में ब्याज पर अपने खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व उत्पन्न नहीं कर सके।

### *राज्य सरकार के ऋणों पर बकाया ब्याज का आयु वार विश्लेषण*

**1.19** दो पीएसयूज में जीओयूपी द्वारा दिये गये दीर्घावधि ऋणों पर 31 मार्च 2019 को ₹ 247.93 करोड़ के ब्याज का बकाया था। बकाया ब्याज का आयु वार विश्लेषण **तालिका 1.13** में दर्शाया गया है।

**तालिका 1.13: राज्य सरकार के ऋणों पर बकाया ब्याज का आयु वार विश्लेषण**

**(₹ करोड़ में)**

| पीएसयू का नाम | ऋणों पर बकाया ब्याज | एक वर्ष से कम समय के लिए बकाया | एक से तीन वर्ष के लिए बकाया | तीन से अधिक वर्षों के लिए बकाया |
|---|---|---|---|---|
| यूपी जल विद्युत निगम लिमिटेड | 214.77 | 10.59 | 21.19 | 182.99 |
| उत्तर प्रदेश पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड[32] | 33.16 | 33.16 | 0.00 | 0.00 |
| **योग** | **247.93** | **43.75** | **21.19** | **182.99** |

## *उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) के अन्तर्गत सहायता*

**1.20** ऊर्जा मंत्रालय (एमओपी), भारत सरकार ने राज्य के स्वामित्व वाली विद्युत वितरण कम्पनियों (डिस्कॉम्स) के संचालन एवं वित्तीय पुनुर्त्थान के लिए उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय योजना) प्रारम्भ की (20 नवंबर 2015)। उदय योजना के प्रावधानों के अनुसार, भाग लेने वाले राज्यों को डिस्कॉम्स के संचालन एवं वित्तीय पुनुर्त्थान के लिए निम्नलिखित उपाय करने थे।

### *संचालन क्षमता में उन्नति के लिए योजना*

**1.20.1** प्रतिभागी राज्यों को विभिन्न लक्षित गतिविधियां जैसे फीडर एवं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर (डीटी) की अनिवार्य मीटरिंग, उपभोक्ता अनुक्रमण एवं हानियों की जीआईएस मैंपिंग, ट्रांसफार्मर या मीटरों का उन्नयन या बदलना, प्रति माह 200 यूनिट से अधिक उपभोग करने वाले सभी उपभोक्ताओं की स्मार्ट मीटरिंग, ऊर्जा कुशल उपकरणों के माध्यम से माँग पक्ष का प्रबन्धन (डीएसएम), दरों का तिमाही पुनरीक्षण, व्यापक संसूचना, बिजली की चोरी रोकने के लिए शिक्षा एवं संप्रेषण (आईईसी) अभियान, उन क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति में वृद्धि का आश्वासन जहाँ संचालन क्षमता में सुधार के लिए एटीएण्डसी हानियों को कम किया गया है आदि करने की आवश्यकता थी। इन लक्षित गतिविधियों के लिए निर्धारित समयावधि का भी पालन किया जाना आवश्यक था ताकि लक्षित लाभ की उपलब्धि सुनिश्चित की जा सके जैसे कि फीडर एवं डीटी स्तर पर हानियों को चिन्हित करने की क्षमता, हानि वाले क्षेत्रों की पहचान, तकनीकी हानियों एवं कटौतियों को कम करना, विद्युत की चोरी को कम करना एवं चोरी को कम करने के लिए सार्वजनिक भागीदारी को बढ़ाना, उच्चतम लोड एवं ऊर्जा के उपभोग को कम करना

---

[30] केस्को एवं यूपीआरवीयूएनएल।

[31] यूपीआरवीयूएनएल।

[32] बकाया ब्याज यूपीपीसीएल द्वारा अपने पाँच सहायक डिस्कॉम्स की ओर से 2018–19 के दौरान प्राप्त किये गये जीओयूपी के ऋण पर था।

आदि। संकेतकों के माध्यम से परिचालन सुधारों के परिणामों को मापा जाना था जैसे कि औसत आपूर्ति लागत एवं औसत राजस्व वसूली के बीच के अन्तर में कमी करके 2018–19 तक शून्य करना, एमओपी एवं राज्यों द्वारा अंतिम रूप दिए गए हानि न्यूनन प्रक्षेपपथ के अनुसार एटीएण्डसी हानि को वर्ष 2018–19 में 15 प्रतिशत तक कम करना। इसके अतिरिक्त, एमओपी, भारत सरकार, जीओयूपी एवं यूपीपीसीएल के मध्य त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन निष्पादित हुआ (30 जनवरी 2016) जिसमें एटीएण्डसी हानियों को वित्तीय वर्ष 2019–20 तक कम करते हुये 14.86 प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया।

### *वित्तीय पुनुर्त्थान के लिए योजना*

**1.20.2** 30 सितंबर 2015 तक के डिस्कॉम्स के ऋण के 75 प्रतिशत का अधिग्रहण प्रतिभागी राज्यों द्वारा दो वर्षों में करना था अर्थात 2015–16 में 50 प्रतिशत एवं 2016–17 में 25 प्रतिशत। वित्तीय पुनुर्त्थान के लिए योजना में अन्य बातों के साथ प्रावधानित था कि:

- राज्य "गैर वैधानिक तरलता अनुपात (गैर एसएलआर) ऋणपत्र" जारी करेगा एवं ऐसे ऋणपत्रों के जारी होने से प्राप्त होने वाले धन को डिस्कॉम्स में स्थानान्तरित कर दिया जायेगा जिससे वे बैंकों/वित्तीय संस्थानों के ऋण की राशि का निस्तारण करेंगे। जारी किए गए ऋणपत्रों की 10–15 वर्ष की परिपक्वता अवधि होगी, जिसमें मूलधन के पुनर्भुगतान पर 5 वर्षों तक स्थगन अवधि होगी।

- डिस्कॉम्स के ऋण पहले देय ऋणों की प्राथमिकता में अधिग्रहित किये जायेंगे, इसके बाद उच्च लागत वाले ऋणों का अधिग्रहण किया जाएगा।

- 2015–16 एवं 2016–17 में राज्य द्वारा डिस्कॉम्स को हस्तान्तरण, एक अनुदान के रूप में होगा जो कि डिस्कॉम्स को राज्य ऋण के माध्यम से शेष हस्तान्तरण के साथ तीन वर्षों तक विस्तारित किया जा सकता है। असाधारण मामलों में, 25 प्रतिशत अनुदान पूँजी के रूप में दिया जा सकता है।

### *उदय योजना का कार्यान्वयन*

**1.20.3** उदय योजना के कार्यान्वयन की स्थिति नीचे दी गयी है।

### अ. परिचालन मापदण्डों की उपलब्धि

उदय योजना के तहत राज्य के पाँच डिस्कॉम्स से सम्बन्धित विभिन्न परिचालन मापदण्डों के तहत लक्ष्य एवं उपलब्धियों को **तालिका 1.14** में दर्शाया गया है।

**तालिका 1.14: मार्च 2020 तक परिचालन निष्पादन की मापदण्डवार लक्ष्य एवं उपलब्धियां**

| उदय योजना का मापदण्ड | उदय योजना के तहत लक्ष्य | उदय योजना के तहत स्थिति | उपलब्धि (प्रतिशत में) |
|---|---|---|---|
| फीडर मीटरिंग (संख्या में) (30 सितंबर 2016 तक 100 प्रतिशत) | 16,072 | 20,559 | 127.92 |
| डीटीज् की मीटरिंग (संख्या में) (30 सितंबर 2017 तक 100 प्रतिशत) | 3,82,460 | 1,66,030 | 43.41 |
| फीडर पृथक्कीकरण (संख्या में)[33] | 10,564 | 3,484 | 32.98 |
| ग्रामीण फीडर लेखापरीक्षा (संख्या में)[33] | 9,722 | 30,162 | 310.24 |
| असंयोजित परिवार को विद्युत (संख्या लाख में)[33] | 184.56 | 83.06 | 45.00 |

[33] उदय एमओयू में उक्त मापदण्डों के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए कोई लक्ष्य नहीं है। 2018–19 तक के लक्ष्यों को उनके सापेक्ष दर्शाया गया है।

| उदय योजना का मापदण्ड | उदय योजना के तहत लक्ष्य | उदय योजना के तहत स्थिति | उपलब्धि (प्रतिशत में) |
|---|---|---|---|
| 200 से ऊपर और 500 केडब्लूएच तक की स्मार्ट मीटरिंग (संख्या लाख में) | 23.94 | 10.07 | 42.06 |
| एलईडी उजाला का वितरण (संख्या लाख में)[33] | 264.53 | 269.42 | 101.85 |
| एटीएण्डसी हानियाँ (प्रतिशत में) (31 मार्च 2020 तक) | 14.86 | 30.30 | लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ |
| एसीएस – एआरआर में अन्तर[34] (₹ प्रति यूनिट) | -0.05 | 0.07 | लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ |

***स्रोतः पीएसयूज द्वारा प्रदान की गई सूचना।***

उपरोक्त आँकड़ों के आधार पर, यह स्पष्ट है कि डिस्कॉम्स के प्रदर्शन, डीटीज् पर मीटरिंग, फीडर पृथक्कीकरण, असंयोजित परिवार को विद्युत, स्मार्ट मीटरिंग, एटीएण्डसी हानियों एवं एसीएस – एआरआर में अन्तर के क्षेत्रों में संतोषजनक नहीं थे। परिणामस्वरूप, राज्य के सभी पाँच डिस्कॉम्स उनके वर्ष 2018–19 के नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के आधार पर ₹ 6,031.89 करोड़ की कुल हानियों को उठाते हुए मुश्किल में थे। हालाँकि, एमओपी, जीओआई के उदय डैशबोर्ड पर उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार, उदय योजना के तहत 30 जून 2020 तक राज्य डिस्कॉम्स द्वारा की गई समग्र उपलब्धियों के आधार पर उत्तर प्रदेश राज्य सभी राज्यों में द्वितीय स्थान[35] पर रहा।

### ब. *वित्तीय पुनुर्त्थान का कार्यान्वयन*

**1.20.4** एमओपी, जीओयूपी एवं डिस्कॉम्स की ओर से यूपीपीसीएल के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए (30 जनवरी 2016)। उदय योजना एवं एमओयू के प्रावधानों के आधार पर, डिस्कॉम्स के 30 सितंबर 2015 को कुल बकाया ऋण (₹ 53,935.06 करोड़) में से, जीओयूपी ने ₹ 9,783.44 करोड़ की पूँजी, ₹ 19,566.88 करोड़ के अनुदान एवं ₹ 9,783.44 करोड़ के ऋण को उपलब्ध कराते हुये ₹ 39,133.76 करोड़ के कुल ऋण का 2015–16 एवं 2016–17 की अवधि के दौरान अधिग्रहण किया, जैसा कि **तालिका 1.15** में उल्लेख किया गया।

**तालिका 1.15: उदय योजना का कार्यान्वयन**

**(₹ करोड़ में)**

| वर्ष | पूँजी निवेश | अनुदान | ऋण | कुल |
|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | 6,083.12 | 12,166.24 | 6,083.12 | 24,332.48 |
| 2016-17 | 3,700.32 | 7,400.64 | 3,700.32 | 14,801.28 |
| **कुल** | **9,783.44** | **19,566.88** | **9,783.44** | **39,133.76** |

***स्रोतः पीएसयूज द्वारा प्रदान की गई सूचना।***

इसके अलावा, जीओयूपी ने वर्ष 2017–18 में ₹ 669 करोड़ (2016–17 के हानि का 5 प्रतिशत) एवं वर्ष 2018–19 में ₹ 1,417 करोड़ (2017–18 के हानि का 10 प्रतिशत) की सब्सिडी प्रदान की। इसके अलावा, भविष्य के वित्तीय घाटे को पूरा करने के लिए वर्ष 2019–20 में प्रदान की जाने वाली ₹ 4,267 करोड़ की सब्सिडी (2018–19 के हानि का 25 प्रतिशत) के सापेक्ष, ₹ 1,485 करोड़ की धनराशि वर्ष 2019–20 में दी गई एवं शेष धनराशि ₹ 2,782 करोड़ के सापेक्ष 2020–21 के बजट में ₹ 2,200 करोड़ का प्रावधान किया गया एवं शेष धनराशि ₹ 582 करोड़ को अनुपूरक बजट में दिया जायेगा।

---

[34] आपूर्ति की औसत लागत (एसीएस) - औसत राजस्व वसूली (एआरआर) में अन्तर।

[35] 30 जून 2020 को समाप्त तिमाही के लिए उदय की वेबसाइट पर दर्शायी गयी राज्यों की नवीनतम तिमाही रैंकिंग के अनुसार।

## ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के लेखाओं पर टिप्पणियाँ

**1.21** ऊर्जा क्षेत्र के 14 उपक्रमों[36] ने 1 अक्टूबर 2018 से 31 दिसंबर 2019 के दौरान अपने 28 लेखापरीक्षित लेखाओं को प्रधान महालेखाकार को प्रस्तुत किया। इनमें से 23 लेखाओं को अनुपूरक लेखापरीक्षा के लिए चयनित किया गया। सीएजी द्वारा सम्पादित की गयी अनुपूरक लेखापरीक्षा एवं सांविधिक लेखापरीक्षकों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से इंगित हुआ कि लेखाओं की गुणवत्ता में पर्याप्त सुधार की आवश्यकता है। 2016–19 के लेखाओं के लिए, सीएजी एवं सांविधिक लेखापरीक्षकों की टिप्पणियों के कुल मूल्य का विवरण **तालिका 1.16** में दर्शाया गया है।

**तालिका 1.16: ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों पर लेखापरीक्षा की टिप्पणियों का प्रभाव**

| क्रम संख्या | विवरण | 2016–17 | | 2017–18 | | 2018–19 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | लेखाओं की संख्या | धनराशि (₹ करोड़ में) | लेखाओं की संख्या | धनराशि (₹ करोड़ में) | लेखाओं की संख्या | धनराशि (₹ करोड़ में) |
| 1. | लाभ में कमी | 2 | 4.21 | 1 | 3.99 | - | - |
| 2. | लाभ में वृद्धि | - | - | - | - | 1 | 0.91 |
| 3. | हानि में वृद्धि | 5 | 292.89 | 4 | 956.51 | 8 | 451.44 |
| 4. | हानि में कमी | 2 | 13.37 | 1 | 2.97 | 5 | 49.02 |
| 5. | सारवान तथ्यों का अप्रकटीकरण | 2 | 693.34 | 3 | 9.65 | 1 | 0.15 |
| 6. | वर्गीकरण की त्रुटियाँ | 6 | 256.52 | 4 | 37.47 | 10 | 1,602.56 |

***स्रोत: सरकारी पीएसयूज के सम्बंध में सांविधिक लेखापरीक्षकों और सीएजी की टिप्पणियों से संकलित।***

वर्ष 2018–19 के दौरान, सांविधिक लेखापरीक्षकों ने 19 लेखाओं पर क्वालीफाइड राय जारी की थी। पीएसयूज द्वारा लेखा मानकों का अनुपालन ठीक नहीं रहा क्योंकि सांविधिक लेखापरीक्षकों ने 16 लेखाओं में लेखा मानकों का अनुपालन न करने के 70 दृष्टान्त दिये।

## अनुपालन लेखापरीक्षा प्रस्तर

**1.22** 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के आर्थिक क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर प्रतिवेदन के भाग–I के लिए, ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों से सम्बंधित दो अनुपालन लेखापरीक्षा प्रस्तरों को ऊर्जा विभाग, जीओयूपी के प्रमुख सचिव को प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने के अनुरोध के साथ जारी किया गया था। एक अनुपालन लेखापरीक्षा प्रस्तर का उत्तर, राज्य सरकार से प्राप्त हुआ है एवं इसे इस प्रतिवेदन के आगामी अध्याय–II के सम्बंधित लेखापरीक्षा प्रस्तर में उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है। दो अनुपालन लेखापरीक्षा प्रस्तरों का कुल वित्तीय प्रभाव ₹ 3.07 करोड़ है।

## लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुगामी कार्यवाही

### *अप्राप्त उत्तर*

**1.23** भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन लेखापरीक्षा जाँच की प्रक्रिया की परिणति का प्रतिनिधित्व करता है। अतः यह आवश्यक है कि इन पर कार्यपालिका से उचित और समयबद्ध प्रतिक्रिया प्राप्त की जाये। उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त विभाग ने सभी प्रशासनिक विभागों को भारत के सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित किये गये प्रस्तरों/निष्पादन लेखापरीक्षाओं के उत्तर/व्याख्यात्मक टिप्पणियों को निर्धारित प्रारूपों में इन प्रतिवेदनों के विधायिका के समक्ष प्रस्तुतीकरण से दो से तीन माह की अवधि में, सार्वजनिक उपक्रम समिति (कोपू) से किसी प्रश्नसूची की प्रतीक्षा किए बिना,

[36] एक पीएसयू अर्थात यूपीएसआईडीसी पॉवर कम्पनी लिमिटेड ने 2013–14 के बाद अपने वार्षिक लेखे प्रस्तुत नहीं किए हैं।

प्रस्तुत करने के निर्देश जारी किये थे (जून 1987)। अप्राप्त व्याख्यात्मक टिप्पणियों की स्थिति **तालिका 1.17** में दी गई है।

**तालिका 1.17: अप्राप्त व्याख्यात्मक टिप्पणियां (30 सितंबर 2020 तक)**

| लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक/पीएसयूज) का वर्ष | लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को राज्य विधायिका में प्रस्तुतीकरण की तिथि | लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अर्न्तगत कुल निष्पादन लेखापरीक्षा (पीएज) एवं प्रस्तर | | पीएज/प्रस्तरों की संख्या जिन पर व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ प्राप्त नहीं हुई | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | पीए | प्रस्तर | पीए | प्रस्तर |
| 2011–12 | 16 सितंबर 2013 | 1 | 8 | 1 | 2 |
| 2012–13 | 20 जून 2014 | 0 | 8 | 0 | 1 |
| 2013–14 | 17 अगस्त 2015 | 1 | 6 | 1 | 3 |
| 2014–15 | 8 मार्च 2016 | 4 | 8 | 0 | 4 |
| 2015–16 | 18 मई 2017 | 2 | 5 | 1 | 1 |
| 2016–17 | 7 फरवरी 2019 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| 2017–18 | 21 अगस्त 2020 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| **कुल** | | **10** | **43** | **5** | **19** |

***स्रोतः लेखापरीक्षा द्वारा संकलित सूचना।***

उपर्युक्त से यह देखा जा सकता है कि ऊर्जा विभाग के सम्बंध में 43 प्रस्तरों एवं 10 निष्पादन लेखापरीक्षाओं में से, 19 प्रस्तरों एवं पाँच निष्पादन लेखापरीक्षाओं की व्याख्यात्मक टिप्पणियां प्रतीक्षित थीं (सितंबर 2020)।

## *कोपू द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर चर्चा*

**1.24** 30 सितंबर 2020 को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक/पीएसयूज) में सम्मिलित निष्पादन लेखापरीक्षाओं एवं प्रस्तरों पर कोपू द्वारा पूर्ण की गयी चर्चा की स्थिति **तालिका 1.18** में दी गई है।

**तालिका 1.18: लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित एवं 30 सितंबर 2020 तक चर्चा किये गये निष्पादन लेखापरीक्षाएँ/प्रस्तर**

| लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की अवधि | निष्पादन लेखापरीक्षा (पीएज)/प्रस्तरों की संख्याँ | | | |
|---|---|---|---|---|
| | लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित | | चर्चा किये गये पीएज एवं प्रस्तर | |
| | पीएज | प्रस्तर | पीएज | प्रस्तर |
| 1982-83 से 2010-11 | 62 | 439 | 25 | 216 |
| 2011-12 | 1 | 8 | 0 | 3 |
| 2012-13 | 0 | 8 | 0 | 2 |
| 2013-14 | 1 | 6 | 0 | 1 |
| 2014-15 | 4 | 8 | 1 | 3 |
| 2015-16 | 2 | 5 | 0 | 2 |
| 2016-17 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 2017-18 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| **कुल** | **72** | **482** | **26** | **227** |

***स्रोतः लेखापरीक्षा द्वारा संकलित सूचना।***

## *सार्वजनिक उपक्रमों की समिति के प्रतिवेदन का अनुपालन*

**1.25** कोपू की आन्तरिक कार्य नियमावली में प्रधान महालेखाकार द्वारा कार्यान्वयन आख्या (एटीएन) के पुनरीक्षण हेतु प्रावधान नहीं किया गया है। इसलिए, कोपू की संस्तुतियों पर एटीएन को, केवल कोपू द्वारा एटीएन की चर्चा के समय विभागों द्वारा प्रधान महालेखाकार को प्रस्तुत किया जाता है। इसलिए, एटीएन की स्थिति पर यहां चर्चा नहीं की गई है।

## लेखापरीक्षा के दृष्टान्त पर वसूलियाँ

**1.26** लेखापरीक्षा के दौरान ऊर्जा क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों में तीन मामलों में इंगित की गयी ₹ 20.40 करोड़ की वसूलियों को स्वीकार किया गया। इसके सापेक्ष, **तालिका 1.19** में दिए गए विवरण के अनुसार 1 अक्टूबर 2017 से 31 मार्च 2020 के दौरान 142.20 प्रतिशत (तीन मामलों में ₹ 29.01 करोड़) की वसूली की गयी।

**तालिका 1.19: लेखापरीक्षा द्वारा इंगित की गयी वसूलियाँ एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा स्वीकृत/वसूल की गयी**

| विभाग | वसूलियों का विवरण | लेखापरीक्षा प्रेक्षण की प्रकृति | लेखापरीक्षा द्वारा इंगित की गयी एवं विभाग द्वारा 1 अक्टूबर 2017 से 31 मार्च 2020 के दौरान स्वीकार की गयी वसूलियाँ | | 1 अक्टूबर 2017 से 31 मार्च 2020 के दौरान की गयी वसूलियाँ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | मामलों की संख्या | सम्मिलित धनराशि (₹ करोड़ में) | मामलों की संख्या | सम्मिलित धनराशि (₹ करोड़ में) |
| ऊर्जा विभाग | पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड | त्रुटिपूर्ण टैरिफ लागू करने के कारण राजस्व की हानि | 1 | 5.80 | 1 | 5.80 |
| | दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड | जुर्माना की वसूली नहीं हुयी | 1 | 11.72 | 1 | 20.19 |
| | उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रान्समिशन कार्पोरेशन लिमिटेड | सुपरविजन शुल्क कम लिया गया | 1 | 2.88 | 1 | 3.02 |
| **कुल** | | | **3** | **20.40** | **3** | **29.01** |

***स्रोत: लेखापरीक्षा द्वारा संकलित सूचना।***